इससे संबंधित शिकायत इस न... करायें, आपकी जानकारी गुप्त र...

टॉल फ्री नं– 15545 या 1800 345 6268

बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), खगड़िया

कृषि उन्नति योजना अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर आशुलिपिक–सह–लिपिक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पद का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	नियत मानदेय (रू0 में)	पदों की संख्या	उम्र	अनिवार्य योग्यता
01	आशुलिपिक–सह–लिपिक (राज्य स्कीम)	राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	स्नातक की डिग्री एवं आशु टंकन कार्य में 03 वर्ष का अनुभव के साथ कम्प्यूटर में 06 माह का डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर कार्य में दक्ष।

नियोजन हेतु सामान्य सूचना :–

- एकल पद होने के कारण पद अनारक्षित है।
- चयन प्रक्रिया–आवश्यकतानुसार शैक्षणिक योग्यता / दक्षता परीक्षा / कार्यानुभव / साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया का मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किया जाएगा।
- चयन में बिहार राज्य के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा।
- उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- अन्य बातें समान रहने पर अधिकतम आयु के अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
- विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाणपत्रों / अंकपत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- **संविदा पर नियोजन–** संविदा पर नियोजन, योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिए किया जाएगा, परंतु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवाविमुक्त किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवको को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाऐंगे। नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- किसी भी कर्मी के उपर उनके पूर्व के संस्थानों / विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप / विभागीय कार्रवाई / न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गई हो से संबंधित शपथ–पत्र (पब्लिक नोटरी से शपथ कराकर) योगदान के समय कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय / नियत वेतन देय होगा।
- एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्त सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003 दिनांक 22.01.2021 के अनुरूप मान्य होगा।
- आवेदन पत्र, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 02 जून, 2025 से दिनांक 16 जून, 2025 को संध्या 05.00 बजे तक हीं प्राप्त किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।
- पूर्ण रूपेण भरे गये आवेदन कार्यालय, परियोजना निदेशक, आत्मा, खगड़िया, संयुक्त कृषि भवन, परमानंदपुर, पो0–कोशी कॉलेज, जिला–खगड़िया, पिन कोड–851205 के पता पर भेजा जा सकता है।

नियोजन हेतु समय सीमा का निर्धारण :–

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	समय सीमा	दायित्व
1	जिला द्वारा विज्ञापन प्रकाशन कराने की तिथि	02 जून, 2025	जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा एवं उप परियोजना निदेशक, आत्मा
2	अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	16 जून, 2025	
3	नियोजन हेतु आवश्यकतानुसार दक्षता परीक्षा / कार्य अनुभव / साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कराने की अंतिम तिथि	22 जून, 2025	
4	औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि	25 जून, 2025	
5	आपत्तियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि	26–27 जून, 2025	
6	आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि	28–29 जून, 2025	
7	चयनित अभ्यर्थियों के योगदान की अंतिम तिथि	06 जुलाई, 2025	

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
आत्मा शासी परिषद, खगड़िया

PR. No. 005162 (Agriculture) 2025-26

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार अभ्यर्थी की पहचान मनीचक गांव निवासी अनिल पासवान के पुत्र शिशुपाल कुमार उर्फ विभीषण कुमार (उम्र 21 वर्ष) के रूप में हुई है. युवक ने खुद स्वीकार किया कि वह पहले 31 मई को शिशुपाल कुमार के नाम से परीक्षा दे चुका है और बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए अब 4 दिन बाद विभीषण कुमार के नाम से पुनः परीक्षा देने आया था. अभ्यर्थी के पास से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी प्रवेश पत्र बरामद किया गया है, जो विभीषण कुमार के नाम पर बनाए गए थे. पूछताछ के दौरान युवक ने कबूला कि वह परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर बहाली सुनिश्चित करने के लिए दो अलग-अलग नामों से फार्म भरता है और दो बार परीक्षा देता है. उसके द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड पूरी तरह नकली पाए गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मलेरिया निरीक्षक, जो कि परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के रूप में तैनात थे, ने दीपनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.